


24.05.2024:—पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नही आए। प्रार्थी का मूल वादपत्र डिक्री हो गया। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए वादपत्र डिक्री होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
कुमानगढ़

